

संस्कृति मंत्रालय
मांग संख्या 19
संस्कृति मंत्रालय

क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आवंटन इस प्रकार हैं :

		(करोड़ रुपए)								
मुख्य शीर्ष		बजट 2008-2009			संशोधित 2008-2009			बजट 2009-2010		
		आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
राजस्व		553.68	425.00	978.68	548.68	508.00	1056.68	663.90	576.00	1239.90
पूंजी		46.32	...	46.32	46.32	...	46.32	36.10	...	36.10
जोड़		600.00	425.00	1025.00	595.00	508.00	1103.00	700.00	576.00	1276.00
1. सचिवालय-सामाजिक सेवाएं	2251	3.40	14.20	17.60	3.70	16.20	19.90	3.40	19.00	22.40
कला और संस्कृति										
कला और संस्कृति का संवर्धन										
2. क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्र	2205	14.00	...	14.00	13.50	...	13.50	14.00	...	14.00
3. संगीत नाटक अकादमी	2205	11.50	6.85	18.35	11.35	6.72	18.07	11.50	8.30	19.80
4. ललित कला अकादमी	2205	6.00	4.45	10.45	11.00	4.39	15.39	6.00	5.80	11.80
5. साहित्य अकादमी	2205	10.50	4.60	15.10	10.00	4.55	14.55	10.50	6.00	16.50
6. भारत महोत्सव	2205	...	4.10	4.10	...	3.86	3.86	...	4.10	4.10
7. इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय कला केन्द्र	2205	25.00	...	25.00	25.00	...	25.00	25.00	...	25.00
8. राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय	2205	13.00	5.00	18.00	13.00	4.94	17.94	13.00	7.60	20.60
9. राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा	2205	5.00	1.97	6.97	4.50	2.29	6.79	7.00	3.80	10.80
10. एशियाटिक सोसायटी, कोलकाता	2205	4.00	5.65	9.65	3.75	5.51	9.26	21.00	7.60	28.60
11. सांस्कृतिक संसाधन एवम् प्रशिक्षण केन्द्र	2205	10.00	2.50	12.50	13.25	2.41	15.66	10.00	2.95	12.95
12. नृत्य, नाटक और नाट्यशाला केन्द्र	2205	16.00	1.35	17.35	16.00	1.27	17.27	16.00	1.50	17.50
13. गांधी शान्ति पुरस्कार	2205	...	1.30	1.30	...	1.25	1.25	...	1.50	1.50
14. राष्ट्रीय संस्कृति कोष	2205	3.19	...	3.19	3.19	...	3.19	0.50	...	0.50
15. शताब्दी/वर्षगांठ समारोह										
15.01 लाल बहादुर शास्त्री का जन्म शताब्दी समारोह	2205	...	0.21	0.21	...	0.21	0.21	...	0.21	0.21
15.02 प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, 1857 की 150वीं वर्षगांठ समारोह	2205	...	21.00	21.00	...	20.00	20.00	...	10.00	10.00
15.03 महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण का 2550वीं वर्षगांठ समारोह	2205	...	5.00	5.00	...	4.75	4.75	...	0.50	0.50
15.04 खालसा विरासत परियोजना हेतु वित्तीय सहायता	2205	11.50	...	11.50	11.50	...	11.50	11.50	...	11.50
	जोड़	11.50	26.21	37.71	11.50	24.96	36.46	11.50	10.71	22.21
16. अन्य	2205	78.85	36.89	115.74	64.59	89.32	153.91	80.68	86.81	167.49
जोड़-कला और संस्कृति का संवर्धन, पुरातत्व, अभिलेखागार और संग्रहालय		208.54	100.87	309.41	200.63	151.47	352.10	226.68	146.67	373.35
17. भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण	2205	111.00	200.00	311.00	114.00	222.30	336.30	111.00	267.70	378.70
	3601	...	1.00	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00	1.00
	जोड़	111.00	201.00	312.00	114.00	223.30	337.30	111.00	268.70	379.70
18. भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार	2205	3.75	12.42	16.17	3.30	14.90	18.20	3.75	16.00	19.75
	3601	0.65	...	0.65	0.50	...	0.50	0.65	...	0.65
	3602	0.10	...	0.10	0.10	...	0.10
	जोड़	4.50	12.42	16.92	3.80	14.90	18.70	4.50	16.00	20.50
19. राष्ट्रीय संग्रहालय	2205	10.00	8.04	18.04	8.00	7.99	15.99	10.00	8.92	18.92
20. राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद	2205	19.00	18.00	37.00	22.50	17.65	40.15	20.00	23.50	43.50
21. विज्ञान नगर	2205	12.00	...	12.00	11.50	...	11.50	19.28	...	19.28
22. भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण	2205	8.50	11.50	20.00	8.50	14.75	23.25	10.50	16.00	26.50
23. नेहरू स्मारक संग्रहालय और पुस्तकालय, नई दिल्ली	2205	4.00	7.40	11.40	7.30	7.00	14.30	4.00	9.20	13.20
24. भारतीय संग्रहालय, कोलकाता	2205	8.50	5.00	13.50	11.50	4.90	16.40	29.00	6.25	35.25
25. सालार जंग संग्रहालय, हैदराबाद	2205	8.00	6.00	14.00	8.00	5.80	13.80	15.00	8.40	23.40
26. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, भोपाल	2205	6.50	2.20	8.70	6.40	2.15	8.55	9.50	3.00	12.50
27. अन्य कार्यक्रम	2205	35.30	6.79	42.09	31.71	7.12	38.83	54.84	8.83	63.67
जोड़-पुरातत्व, अभिलेखागार और संग्रहालय		227.30	278.35	505.65	233.21	305.56	538.77	287.62	368.80	656.42

(करोड़ रुपए)

मुख्य शीर्ष	बजट 2008-2009			संशोधित 2008-2009			बजट 2009-2010			
	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	
पुस्तकालय										
28. राष्ट्रीय पुस्तकालय, कोलकाता	2205	7.00	16.00	23.00	6.75	18.92	25.67	18.50	21.00	39.50
29. दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी	2205	4.25	8.00	12.25	3.50	7.95	11.45	4.00	10.65	14.65
30. राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी	2205	26.50	2.30	28.80	26.50	2.25	28.75	28.50	3.00	31.50
31. अन्य पुस्तकालय	2205	15.89	4.68	20.57	14.09	5.07	19.16	23.00	6.23	29.23
	3601	0.80	0.60	1.40	0.80	0.58	1.38	2.20	0.65	2.85
	जोड़	16.69	5.28	21.97	14.89	5.65	20.54	25.20	6.88	32.08
जोड़-पुस्तकालय		54.44	31.58	86.02	51.64	34.77	86.41	76.20	41.53	117.73
पूर्वोत्तर क्षेत्र										
32. पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा सिक्किम के लाभार्थ परियोजनाओं/योजनाओं हेतु प्रावधान										
32.01 कला और संस्कृति संवर्धन हेतु परियोजनाएं/योजनाएं	2552	37.09	...	37.09	37.09	...	37.09	47.59	...	47.59
32.02 पुरातत्व, अभिलेखागार और संग्रहालय	2552	18.31	...	18.31	17.81	...	17.81	17.81	...	17.81
32.03 पुस्तकालय	2552	4.60	...	4.60	4.60	...	4.60	4.60	...	4.60
	जोड़	60.00	...	60.00	59.50	...	59.50	70.00	...	70.00
33. संस्कृति मंत्रालय द्वारा संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों की परियोजनाओं का निर्माण	4202	46.32	...	46.32	46.32	...	46.32	36.10	...	36.10
जोड़-कला और संस्कृति		596.60	410.80	1007.40	591.30	491.80	1083.10	696.60	557.00	1253.60
	कुल जोड़	600.00	425.00	1025.00	595.00	508.00	1103.00	700.00	576.00	1276.00
ग. आयोजना परिव्यय										
	विकास शीर्ष	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं.	जोड़
1. कला और संस्कृति	22205	536.60	...	536.60	531.80	...	531.80	626.60	...	626.60
2. सचिवालय-सामाजिक सेवाएं	22251	3.40	...	3.40	3.70	...	3.70	3.40	...	3.40
3. पूर्वोत्तर क्षेत्र	22552	60.00	...	60.00	59.50	...	59.50	70.00	...	70.00
	जोड़	600.00	...	600.00	595.00	...	595.00	700.00	...	700.00

1. **सचिवालय सामाजिक सेवा** : इस शीर्ष के तहत मंत्रालय के सचिवालय पर वेतन एवं संबद्ध मदों पर होने वाले व्यय का प्रावधान है। इस व्यय में मंत्रालय में आधुनिकीकरण तथा सूचना प्रौद्योगिकी विकास के अंतर्गत स्कीमें तथा केन्द्रीय सचिवालय ग्रंथागार के लिए व्यय भी शामिल है।

केन्द्रीय सचिवालय ग्रंथागार (सी एस एल) : संस्कृति मंत्रालय विशेष रूप से क्षेत्रीय अध्ययन तथा भारतीय सरकारी प्रलेखों के सन्दर्भ में सरकार का सबसे बड़ा पुस्तकालय है। आज की तारीख के अनुसार, केन्द्रीय सचिवालय ग्रंथागार परिसर में लगभग 7.05 लाख पुस्तकों का संग्रह है। के0 स0 ग्रं0 की सामग्रियों की ग्रंथसूची सम्बन्धी विवरण मशीन पठनीय फारमेट में उपलब्ध है। 1950 से 2008 तक भारत सरकार के प्रलेखों के 18.75 लाख डिजिटल पृष्ठ प्रयोक्ताओं के लिए उपलब्ध हैं। इसके अतिरिक्त, के0 स0 ग्रं0 की सामग्रियों के अनुसार, समिति तथा आयोग रिपोर्टों के 12 लाख पृष्ठ के डिजिटाइज्ड आंकड़े भी ऑन लाइन उपलब्ध है।

2. **क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्र** : क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्रों की परिकल्पना सांस्कृतिक संबंधों, जो क्षेत्रीय सीमाओं से आगे फैल गए हैं, के प्रसार के उद्देश्य से की गई है। इस अवधारणा का उद्देश्य स्थानीय संस्कृतियों की जागरूकता पैदा करना तथा उसे और बढ़ाना और साथ ही यह दर्शाना है कि ये किस तरह क्षेत्रीय पहचान में और अन्ततः भारत की सामासिक संस्कृति की समृद्ध विविधता में मिल जाती हैं। इन केन्द्रों ने पहले ही स्वयं को समग्र देश में संस्कृति के संवर्धन, परिरक्षण और प्रसार के क्षेत्र में एक प्रमुख एजेंसी के रूप में स्थापित कर लिया है।

3. **संगीत नाटक अकादमी** : संगीत नाटक अकादमी की स्थापना मंच कलाओं के संवर्धन के उद्देश्य से 1953 में की गई थी। यह अकादमी भारतीय संगीत, नृत्य और नाटक के संवर्धन एवं विकास, मंच कलाओं में प्रशिक्षण के मानकों के अनुसंधान, संगीत, नृत्य और नाटक के विभिन्न रूपों से संबंधित सामग्रियों और वाद्यों को पुनर्जीवित करने, उनके परिरक्षण, प्रलेखन तथा प्रसार

और उत्कृष्ट कलाकारों को सम्मानित करने के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करती है।

4. **ललित कला अकादमी** : ललित कला अकादमी सृजनात्मक दृश्य कलाओं के क्षेत्र में कार्यकलापों के सम्पोषण तथा समन्वय और देश की सांस्कृतिक एकता का संवर्धन करने वाला एक राष्ट्रीय संगठन है।

5. **साहित्य अकादमी** : साहित्य अकादमी की स्थापना भारतीय साहित्य के विकास तथा सभी भारतीय भाषाओं में साहित्यिक कार्यकलापों के सम्पोषण और समन्वय हेतु उच्च साहित्यिक मानक निर्धारित करने और उनके माध्यम से देश की सांस्कृतिक एकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई है।

6. **भारत महोत्सव** : विदेशों में भारत महोत्सव तथा पारस्परिक आधार पर अन्य देशों के महोत्सवों को भारत में आयोजित करने की शुरुआत 1982 में की गई थी जिसका उद्देश्य भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और समकालीन सृजनात्मकता को विदेशों में प्रसारित करने तथा साथ ही एक-दूसरे के देशों की निरन्तरता तथा परिवर्तन की गतिशीलता, परम्परा तथा आधुनिकता, मूल्यों और बोध की बेहतर समझ व्यापक तरीके से विकसित करने के लिए भारत के लोगों को दूसरे देश के जीवन, परम्परा तथा संस्कृति के दृश्य को वृहत् रूप में प्रस्तुत करना है। इसके अलावा, ये महोत्सव भारतीय संस्कृति और परम्पराओं को बढ़ावा देने के साथ-साथ लोगों को भारत में विभिन्न पर्यटन स्थलों तथा भारतीय संस्कृति के बहुरूपों से परिचित करवा कर विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करते हैं।

7. **इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केन्द्र (आईजीएनसीए)** : आई जी एन सी ए की स्थापना एक स्वायत्त न्यास के रूप में 1987 में की गई थी। यह एक ऐसा केन्द्र है जो ऐसे सभी कलारूपों के अध्ययन तथा अनुभव को समाहित करने के लिए स्थापित किया गया है, जिनकी अपनी अलग पहचान होते हुए एक-दूसरे से जुड़े हैं।

8. **राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय (एनएसडी)** : एन एस डी की स्थापना, नाट्य कला का प्रशिक्षण प्रदान करने और देश में इसका प्रचार करने के लिए 1959 में की गई थी।

9. **राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय (एनजीएमए), नई दिल्ली :** 1954 में स्थापित राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय (एन जी एम ए) एक अद्वितीय संस्था है, जो पिछली शताब्दी से भारत में दृश्य कलाओं में हुए उद्विकास और सचित्र परिवर्तन का प्रतिनिधित्व करती है। एन जी एम ए के मुख्य उद्देश्य भारतीय जनता में सामान्य रूप से दृश्य और प्लास्टिक कलाओं के प्रति समझ और संवेदनशीलता को उत्पन्न करना और विशेषतया समकालीन भारतीय कला के विकास को बढ़ावा देना है। एन जी एम ए, मुंबई में जहाँगीर पब्लिक हॉल में एक कार्यात्मक शाखा और बंगलौर में एक और शाखा संचालित करता है।

10. **एशियाटिक सोसाइटी, कोलकाता :** एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 में सर विलियम जोंस ने की। यह एक अद्वितीय संस्थान है, जिसने सभी साहित्यिक और वैज्ञानिक कार्यकलापों के मूलस्रोत के रूप में सेवा प्रदान की है। सरकार ने इसे राष्ट्रीय महत्व की संस्था घोषित किया है।

11. **सांस्कृतिक स्रोत और प्रशिक्षण केन्द्र (सीसीआरटी) :** सांस्कृतिक स्रोत और प्रशिक्षण केन्द्र संस्कृति को शिक्षा से जोड़ने के लिए एक स्वायत्त संगठन है। यह केन्द्र सांस्कृतिक विषय-वस्तु के साथ भारतीय शैक्षिक प्रणाली को समृद्ध बनाने के विशिष्ट उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कई प्रकार के कार्यक्रम आयोजित करता है।

12. **नृत्य, नाटक और रंगमंच को सहायता :** इस योजना के अंतर्गत, प्रतिष्ठित स्वैच्छिक सांस्कृतिक संगठनों को देश की सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने के लिए वेतन अनुदान और निर्माण (प्रोडक्शन) अनुदान के रूप में सहायता दी जाती है।

13. **गांधी शांति पुरस्कार :** 1995 में महात्मा गाँधी की 125वीं वर्षगाँठ मनाने के भाग के तौर पर भारत सरकार ने अहिंसा और अन्य गाँधीवादी तरीकों से सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक परिवर्तन के लिए एक वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय गाँधी शांति पुरस्कार आरंभ करने की घोषणा की थी। यह पुरस्कार भारत के माननीय प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक निर्णायक मण्डल (जूरी) द्वारा चुने गए व्यक्ति को दिया जाता है। इस पुरस्कार में 1.00 करोड़ रु. या विदेशी मुद्रा में इसके बराबर की धनराशि, एक पट्टिका और प्रशस्ति-पत्र प्रदान किए जाते हैं।

14. **राष्ट्रीय संस्कृति निधि (एनसीएफ) :** धर्मस्व निधि अधिनियम, 1890 के अंतर्गत स्थापित एन सी एफ का उद्देश्य संस्कृति संबंधित प्रयासों के लिए राज्य सरकारों, सांविधिक निकायों, निजी निगमित क्षेत्र, सोसाइटियों, व्यक्तियों और यहाँ तक कि संयुक्त राष्ट्र और इसके सहयोगी निकायों से वित्तीय सहायता प्राप्त करना है।

15. शताब्दी एवं वर्षगाँठ समारोह:-

15.01 **लाल बहादुर शात्री की जन्म शताब्दी मनाना -** लाल बहादुर शात्री शताब्दी समारोह के एक भाग के रूप में मंदा गाँव (उ. प्र.) में पॉलीटेक्नीक और सोलसिंदा (एम. पी.) में महिला पॉलीटेक्नीक संस्थान के निर्माण तथा इंस्टीट्यूट ऑफ डिफेंस स्टडीज एंड ऐनालिसिस (आई डी एस ए) में श्री लाल बहादुर शात्री पीठ की स्थापना पर होने वाले व्यय को पूर्ण करने के लिए निधियाँ प्रदान की गई हैं।

15.02 **प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, 1857 का 150वाँ वर्षगाँठ समारोह:** इस समारोह को उपयुक्त ढंग से मनाने के लिए वर्ष 2007-08 और 2008-09 के दौरान प्रावधान किए गए हैं। कार्यान्वयन समिति ने समारोह के भाग के रूप में, संस्मारक समारोहों के लिए कुछ कार्यक्रमों/प्रस्तावों/कार्यकलापों को पहले ही चिह्नित किया है तथा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय में बहादुर शाह ज़फर की पीठ स्थापित की जाएगी। इन कार्यक्रमों को वर्ष 2009-10 के दौरान भी जारी रखने का प्रस्ताव है।

15.03 **भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण की 2550वीं वर्षगाँठ मनाना -** भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण का 2550 वाँ वर्ष मनाने के संबंध में कार्यक्रमों को तैयार करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय समिति का गठन किया गया है। संस्मारक समारोहों के लिए निधियाँ प्रदान की गई हैं।

15.04 **खालसा विरासत परियोजना के लिए वित्तीय सहायता -** आनंदपुर साहिब में खालसा के जन्म के 300 वर्ष मनाने के लिए पंजाब सरकार ने वर्ष 1999 में खालसा विरासत परिसर परियोजना की परिकल्पना की थी। वर्ष 1999-2000 में खालसा के जन्म की त्रै-शताब्दी समारोह के लिए केन्द्र सरकार ने 100 करोड़ रु. के अनुदान की घोषणा की थी।

16. **अन्य :** अन्य में केंद्रीय उच्चतर तिब्बती अध्ययन संस्थान, केंद्रीय बौद्ध

अध्ययन संस्थान, गाँधी स्मृति और दर्शन समिति, नव नालंदा महाविहार, मौलाना अबुल कलाम आजाद एशियाई अध्ययन संस्थान, कलाक्षेत्र प्रतिष्ठान तथा मंच, साहित्य एवं दृश्य कलाओं के क्षेत्र में कलाकारों को छात्रवृत्तियाँ प्रदान करना (प्रतिभाशाली कलाकारों को अध्येतावृत्ति), कला में निष्णात व्यक्तियों को सहायता, जनजातीय/लोक कलाओं के लिए वित्तीय सहायता, हिमालयी कलाओं के लिए वित्तीय सहायता, बौद्ध/तिब्बती संस्थाओं के लिए वित्तीय सहायता, शताब्दी एवं वर्षगाँठ समारोह, राष्ट्रीय स्मारकों का रखरखाव, दांडी विरासत गलियारा (कोरिडोर), दांडी में स्मारक निर्माण एवं गुरु-ता-गद्दी के लिए वित्तीय सहायता, सांस्कृतिक संगठनों के लिए भवन अनुदान, राष्ट्रीय स्तर के सांस्कृतिक संगठनों को वित्तीय सहायता, एशियाटिक सोसाइटी, मुंबई, सांस्कृतिक कार्यकलापों में लगे हुए स्वैच्छिक संगठनों को अनुसंधान सहायता हेतु वित्तीय सहायता (सांस्कृतिक संगठनों का विकास) तवांग मठ और तिब्बत हाउस शामिल हैं।

उपरोक्त के अतिरिक्त, अन्य स्कीमों जैसे, जलियाँवाला बाग स्मारक, एशियाटिक सोसाइटी, मुंबई का विकास, अमूर्त विरासत और सांस्कृतिक विविधता के क्षेत्र में सुरक्षा तथा अन्य संरक्षक उपायों (यूनेस्को सम्मेलन से उत्पन्न) की स्कीम, भारतीय संस्कृति और विरासत के विषय में जागरूकता के संवर्धन और प्रसार के लिए योजना स्कीम, सांस्कृतिक विरासत स्वयंसेवक स्कीम, सांस्कृतिक उद्योगों और सांस्कृतिक संसाधन प्रबंधन केंद्र के लिए प्रायोगिक स्कीम हैं जिन्हें वर्ष 2009-10 के दौरान भी जारी रखने का प्रस्ताव है।

17. **भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ए. एस. आई.) :** भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना देश में पुरातत्व-विषयक अवशेषों के सर्वेक्षण और उनके अध्ययन के मूल उद्देश्य से वर्ष 1861 में की गई थी। इसके मुख्य कार्य हैं :- विश्व विरासत स्मारकों तथा स्थलों सहित केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों और स्थलों का परिष्करण और पर्यावरणीय विकास, केन्द्रीय रूप से संरक्षित स्मारकों और स्थलों के इर्द गिर्द उद्यानों का रख रखाव और नए उद्यानों का विकास, प्राचीन स्थलों की खोज और उत्खनन, शिलालेख और भारतीय वास्तुकला के विभिन्न चरणों का विशेष अध्ययन, पुरातत्व संग्रहालयों का अनुसंधान, पुरावस्तु और कलाकोश अधिनियम, 1972 का कार्यान्वयन तथा पुरातत्व के विभिन्न क्षेत्रों में अनुसंधान और प्रशिक्षण। इसके अंतर्गत 3675 केन्द्र द्वारा संरक्षित स्मारक हैं, जिनमें प्रागैतिहासिक पाषणयुगीन स्थल, मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर और किले हैं। बाह्य रूप से सहायता प्राप्त परियोजना "अजंता-एलोरा संरक्षण एवं पर्यटन विकास परियोजना" के लिए 8.00 करोड़ रु. का प्रावधान भी शामिल किया गया है।

18. **भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार :** संस्कृति मंत्रालय का एक संबद्ध कार्यालय, भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार, भारत सरकार के मंत्रालयों और विभागों से संबंधित स्थायी मूल्य के प्राचीन अभिलेखों का केन्द्रीय संग्रह है। यह प्रख्यात भारतीयों के निजी दस्तावेज तथा विदेश से भारतीय हित के अभिलेखों की माइक्रोफिल्म प्रतियों का अर्जन और परिष्करण भी करता है। यह ऐतिहासिक खोज हेतु सुविधाएं प्रदान करता है तथा अभिलेखीय अध्ययन विद्यालय, जो इस क्षेत्र में अनेक पाठ्यक्रम चलाता है, के माध्यम से वैज्ञानिक तरीकों पर देश में अभिलेखीय देख-रेख का संवर्धन करता है। भोपाल में इसका क्षेत्रीय कार्यालय है तथा जयपुर, पांडिचेरी और भुवनेश्वर में इसके अभिलेख केन्द्र हैं।

19. **राष्ट्रीय संग्रहालय :** वर्ष 1949 में स्थापित राष्ट्रीय संग्रहालय, संस्कृति मंत्रालय के अधीन एक अधीनस्थ कार्यालय है। संग्रहालय के मुख्य कार्यकलापों में शामिल हैं (i) कला और संस्कृति पर प्रकाशन निकालना; (ii) कला वस्तुओं का अर्जन और संरक्षण; (iii) भारत और विदेशों में प्रदर्शनियों का आयोजन; (iv) भारतीय मूर्तिकला की श्रेष्ठ कृतियों के प्रतिरूप तैयार करना (v) दृश्य-श्रव्य और अन्य शैक्षणिक कार्यक्रम।

20. **राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद (एनसीएसएम) :** राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद मुख्यतः, विज्ञान शिक्षकों, छात्रों, युवा उद्यमियों, तकनीशियनों आदि के लिए प्रदर्शनियाँ और सेमिनार, आयोजित करके विज्ञान और प्रौद्योगिकी को लोकप्रिय बनाने में कार्यरत है।

21. **विज्ञान शहर :** विज्ञान और प्रौद्योगिकी का विकास और वैज्ञानिक अभिवृत्ति तथा प्रकृति का विकास करने के विचार से उद्योग, मानव कल्याण और पर्यावरण में उनके अनुप्रयोग को प्रस्तुत करने तथा लोगों में आम जागरूकता उत्पन्न करने, उसका आत्मसात करने और सम्मोषण के लिए विज्ञान शहरों की स्थापना की गई थी।

22. **भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण:** भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण की स्थापना वर्ष 1945 में की गई थी। यह भारत की जनसंख्या के संबंध में जैव-सांस्कृतिक खोज/अनुसंधान संचालित करता है, भारतीय जनता के बारे में

वैज्ञानिक महत्व के दस्तावेजों का संग्रह और परिरक्षण करता है। सर्वेक्षण अपने मानव विज्ञान अनुसंधान के माध्यम से देश की जैविक, सामाजिक और सांस्कृतिक विरासत के संबंध में योगदान देता है।

23. **नेहरू स्मारक संग्रहालय और पुस्तकालय, नई दिल्ली** : यह संग्रहालय पुस्तकों, समाचार-पत्रों, अप्रकाशित संदर्भों, निजी दस्तावेजों, फोटोग्राफों, फिल्म दृश्यों के संग्रह और पंडित जवाहर लाल नेहरू से संबंधित महत्वपूर्ण दस्तावेजों के अनुवाद का कार्य करता है। यह आधुनिक भारत के राष्ट्रीय नेताओं के दस्तावेजों के परिरक्षण का कार्य भी करता है।

24. **भारतीय संग्रहालय** : भारतीय संग्रहालय, संस्कृति मंत्रालय का एक स्वायत्त संगठन, होने के साथ-साथ दीर्घाओं के पुनर्गठन और जीर्णोद्धार तथा नृजातीय नमूने और तकनीकी-सामाजिक एवं आर्थिक सांस्कृतिक डाटा प्राप्त करने का कार्य भी कर रहा है। इसके अंदर पुरावस्तुओं, चित्रों, अन्य कलावस्तुओं और मूर्तियों के प्राचीन संग्रह की बहुत बड़ी संख्या मौजूद है।

25. **सालारजंग संग्रहालय** : सालारजंग संग्रहालय, संस्कृति मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त संगठन है। यह ऐतिहासिक महत्व की कलावस्तुओं के संरक्षण, परिरक्षण, अर्जन तथा शैक्षिक कार्यकलापों जैसे प्रदर्शनियों, लोकप्रिय व्याख्यानो, दीर्घा चर्चाओं, सेमिनारों आदि में कार्यरत है।

26. **इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय (आईजीआरएमएस), भोपाल** : आई जी आर एम एस, संस्कृति मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त संगठन है। आई जी आर एम एस की एक विकासशील आन्दोलन के रूप में परिकल्पना की गई है जिसका उद्देश्य भारत के विशेष संदर्भ में मानव के जैव एवं सांस्कृतिक विकास को दर्शाते हुए काल और स्थान में मानव जाति के इतिहास को चित्रित करना तथा देश के जीवन्त संग्रहालय को उसकी संस्कृतियों के विविध रूप तथा सामुदायिक ज्ञान प्रणालियों को पुनः अनुप्रमाणित करना है।

27. **अन्य कार्यक्रम** : यह कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल हॉल, जो एक स्वायत्तशासी संगठन है तथा स्वतंत्रता संग्राम के कला इतिहास को दर्शाने वाली कालावधि से सम्बंधित समकालीन कला का एक निधान है, के लिए प्रावधान करता है। सांस्कृतिक सम्पदा के संरक्षण के तरीकों में अनुसंधान करने, संग्रहालयों, पुरातात्विक विभागों और अन्यो को तकनीकी सहायता प्रदान करने

के लिए वर्ष 1976 में राष्ट्रीय सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षण अनुसंधान प्रयोगशाला, जो एक अधीनस्थ कार्यालय है, की स्थापना की गई। इन दोनों के अतिरिक्त अन्य संस्थाओं/स्कीम में इलाहाबाद संग्रहालय, राष्ट्रीय संग्रहालय संस्थान, स्थानीय संग्रहालयों का संवर्धन और सुदृढीकरण और महानगरों में संग्रहालयों के आधुनिकीकरण की नई स्कीम, आरंभ कर दी गई है।

28. **राष्ट्रीय पुस्तकालय, कोलकाता**: यह ऐसी सभी पठनीय और सूचनाप्रद सामग्रियों के एक प्रमुख निधान के रूप में कार्य करता है जो भारत में तथा भारत के संबंध में विदेशों में तैयार की गई। इसके पास फारसी, संस्कृत, अरबी और तमिल पाण्डुलिपियों तथा दुर्लभ पुस्तकों का भी एक समृद्ध संग्रह है।

29. **दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी (डी पी एल)**: 1951 में स्थापित यह पुस्तकालय, दिल्ली के नागरिकों को निःशुल्क पुस्तकालय सेवाएँ उपलब्ध कराता आ रहा है।

30. **राजा राममोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान, कोलकाता** : 1972 में स्थापित, इस प्रतिष्ठान का उद्देश्य पर्याप्त पुस्तकालय सेवाएँ प्रदान कर तथा पूरे देश में पढ़ने की आदत का विकास कर देश में सार्वजनिक पुस्तकालय आंदोलन का प्रचार-प्रसार और सहायता करना है।

31. **अन्य पुस्तकालय** : इनमें केन्द्रीय सन्दर्भ पुस्तकालय, कोलकाता; केन्द्रीय पुस्तकालय, मुम्बई; पटना स्थित खुदा बख्श ओरिएन्टल सार्वजनिक पुस्तकालय, जो लगभग 100 वर्ष पुराना है तथा जिसके पास पुरानी और दुर्लभ पुस्तकों और पाण्डुलिपियों का एक समृद्ध संग्रह है, रामपुर रज़ा पुस्तकालय,, तंजावुर महाराजा सरफोजी की सरस्वती महल पुस्तकालय सोसायटी, तंजावुर, तथा कोन्नेमेशा पुस्तकालय, चेन्नई आदि शामिल हैं। राष्ट्रीय पाण्डुलिपि परिरक्षण मिशन, राष्ट्रीय पुस्तकालय मिशन की स्थापना, जो आगे चलकर आयोग का रूप लेगा, भी शुरू किए गए हैं।

32. **पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम की परियोजनाओं/स्कीमों के लिए प्रावधान**: इस प्रावधान का उपयोग पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लिए बनी परियोजनाओं/स्कीमों के कार्यान्वयन के लिए किया जाता है।

33. **भवन परियोजना** : यह प्रावधान मंत्रालय के संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों की भवन परियोजनाओं के लिए है।